## महत्वपूर्ण एवं खास

# रग-रग में प्लास्टिक

**जिस प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया, वही हमारे लिए जानलेवा होता जा रहा है। मिट्टी और पानी का बंटाधार करने के अलावा वह हमारे लिए कई खतरनाक बीमारियां भी लेकर आ रहा है। इस बार पर्यावरण दिवस की सालाना थीम है- प्लास्टिक प्रदूषण को मात दो। इसके जरिए सरकारों, उद्योगों, विभिन्न समुदायों और आम जनता को प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने के लिए कहा जाएगा। पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान इस साल भारत ही है, जो दुनिया में प्लास्टिक का पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। प्लास्टिक के खतरे को काफी पहले पहचान लिया गया था, पर इस संबंध में जितनी जागरूकता होनी चाहिए थी, वह आ नहीं पाई। इधर सामने आई इसकी भयावहता ने सबके होश उड़ा दिए हैं इसलिए प्लास्टिक के खिलाफ जंग छेड़ना जरूरी समझा जा रहा है।**

**प्लास्टिक जमीन, पानी और हवा तीनों को प्रभावित कर रहा है। सदियों तक नष्ट न होने वाला प्लास्टिक भूजल को प्रदूषित कर रहा है। प्लास्टिक के बहुत सूक्ष्म टुकड़े उसमें मिलकर उसे दूषित कर देते हैं। बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियां इसी भूजल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी प्रॉसेसिंग में वे सूक्ष्म कण खत्म नहीं हो पाते। सालाना लाख से अधिक जलीय जीव प्लास्टिक प्रदूषण से मर रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण पिछले दिनों थाईलैंड में देखने को मिला जहां एक व्हेल 80 से अधिक प्लास्टिक बैग निगलने के कारण मर गई। प्लास्टिक छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटता है पर सड़ता नहीं। दुनिया भर में केवल 1 से 3 फीसदी प्लास्टिक ही रीसाइकल हो पाता है। यह जलकर भी नष्ट नहीं होता और इसे जलाना खतरनाक है। प्लास्टिक का कचरा जलाने से ऐसी गैसें निकलती हैं, जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकती हैं।**

**एक औसत अमेरिकी हर साल 109 किलो प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। इसके मुकाबले एक औसत भारतीय सालाना 11 किलो प्लास्टिक काम में लाता है। भारत में प्लास्टिक से जुड़े खतरे की समझ बनने के बाद इसके इस्तेमाल पर लगाम कसने के लिए कानून बनाया गया, जिसके तहत कोई उत्पादक या दुकानदार 50 माइक्रॉन से कम मोटी प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल कर सकता। कई राज्य सरकारों ने दुकानों में प्लास्टिक की थैली देने पर रोक लगा दी है। भारत के ये प्रयास संयुक्त राष्ट्र द्वारा सराहे गए हैं। उसके पर्यावरण कार्यक्रम के 'डिवीजन ऑफ कम्युनिकेशन्स एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन्स' के निदेशक नेसन साह्बा ने कहा कि भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह पूरी दुनिया में एक नजीर है। बहरहाल, इस शाबासी के बावजूद हकीकत हम जानते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन में यूं बस गया है कि उसके बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे। इस साल जहां भी संभव हो, हमें इसके विकल्प आजमाने चाहिए।**

# चौथे स्तंभ के स्याह सच की बानगी

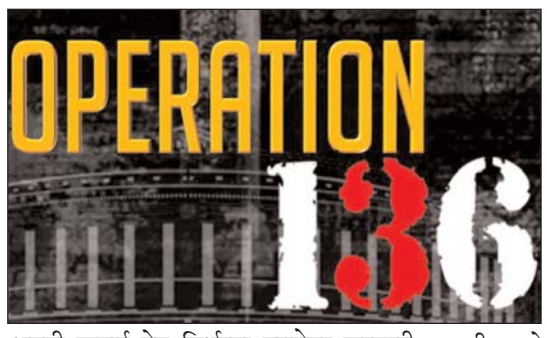


अन्य बातों के अलावा कोबरा पोस्ट द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने इस पहलू पर रोशनी डाली है कि आज पेड न्यूज का प्रसार किस कदर पैठ बना चुका है। वैसे भारत में इस तरह का आरोप कोई नया या अनोखा नहीं है। तकरीबन पिछले दशक या उससे कुछ साल पहले फैली वैश्विक मंदी की मार की वजह से बहुत से भारतीय मीडिया संस्थानों में विज्ञापन से होने वाली कमाई में धन का प्रवाह खासा कम हुआ है। वहीं इस अवधि में इंटरनेट के इस्तेमाल में गुणात्मक वृद्धि भी दर्ज हुई है और यह ऐसा माध्यम है, जिसमें पाठक, दर्शक या श्रोता को इन सुविधाओं के लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और यह प्रवृत्ति उसकी आदत बन गई है। अन्य देशों की तरह भारत में भी आर्थिक मंदी और वैश्विक वेब-दुनिया के प्रसार वाली दोहरी मार ने अधिकांश बड़े मीडिया घरानों की कमाई वाले तंत्र को खासी चोट पहुंचाई है, बहुतों ने छंटनी की है। विज्ञापनों में होती गिरावट की एवज में इन मीडिया संस्थानों की अपनी कमाई हेतु निर्भरता उत्तरोतर सरकारी संस्थानों और सत्ताधारी प्रशासन पर बढ़ती गई है।

कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशनों की वजह से भारत के मीडिया में इस किस्म की 'राजनीतिक आर्थिकी' के पहलुओं ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। इन रहस्योद्घाटनों ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सब-कमेटी द्वारा पेश की गई उस रिपोर्ट पर फिर से एक बार ध्यान दिलवाया है जिसका शीर्षक है - 'पेड न्यूज : भारतीय मीडिया में पेड न्यूज ने किस कदर लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया है।' पेड मीडिया की शिनाख्त इतनी सरल नहीं होती क्योंकि इसमें ज्यादातर लेन-देन ब्लैकमनी में किया जाता है। हालांकि कोबरा पोस्ट की स्टिंग वीडियो से 'डंसे गए' कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे इन समाचार संस्थानों को जारी किए गए समाचार रूपी विज्ञापनों को जारी करने के काम में शामिल नहीं हैं। पेड न्यूज की भरोसेमंद सत्यापना तभी साबित हो सकती है जब इसमें शामिल और करवाने वाले लोग खुद ही यह कुबूल कर लें कि उन्होंने ऐसा करके अनेक कानूनों को भंग किया है जिसमें धोखाधड़ी, कपट, जनप्रतिनिधियों का चुनाव और कर बचाने जैसे अपराध शामिल हैं। यही कारण है कि कोबरा पोस्ट द्वारा प्रस्तुत सुबूत भी चोरी-छिपे और चालाकी से बनाई वीडियो के जरिए ही सामने आ सका है। पत्रकार पी. साईनाथ ने तो अक्तूबर 2009 में ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कुछ दिन ही पहले पेड न्यूज पर अपनी खबर में भंडाफोड़ कर दिया था। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर सिलसिलेवार बनाई अपनी रपटों में इस गड़बड़झाले का पर्दाफाश किया था। उन्होंने बताया कि कैसे तीन बड़े समाचार पत्रों के कुल मिलाकर 15 संस्करणों में हूबहू शब्दों में एक जैसी रिपोर्टें छपी थीं, तिस पर तुर्रा यह कि हरेक समाचार पत्र ने अपने-अपने पत्रकारों को बाकायदा इसके लिए बाईलाइन दी थी (वह खबर जिसमें संवाददाता का नाम उद्धृत किया जाता है)। इनके नाम है : लोकमत, पुधरी और महाराष्ट्र टाइम्स।

जुलाई, 2009 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेड न्यूज के इस आरोप की जांच हेतु दो सदस्यीय समिति बनाई थी (जिसमें यह लेखक एक था)। छह महीनों में लगभग 100 से अधिक संबंधित व्यक्तियों के लिखित और जुबानी बयानों पर विचार करने के बाद इस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रेस काउंसिल को सौंप दी थी।

## धधकते जंगल

उत्तराखंड के जंगल पिछले तीन महीने से सुलग रहे हैं। आग की चपेट में जम्मू और हिमाचल के जंगल भी आए हैं। यहां तक कि जम्मू की पहाड़ियों में लगी आग की वजह से वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी। बाद में सेना की मदद से आग पर काबू पाया गया। मगर जितनी तबाही उत्तराखंड के जंगलों में हुई है, उस अनुपात में शासन-प्रशासन गंभीर नजर नहीं आया है। कुछ मामलों में सेना व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की मदद ली गई है। ये प्रयास आग बुझाने में नाकाफी हैं। ज्यादातर जंगलों में सुस्त व उन्नत तकनीक से वंचित वन विभाग ही आग बुझाने की कोशिश करता नजर आता है। इसके परिणाम कतई उत्साहजनक नहीं हैं। विडंबना ही है कि उत्तराखंड में तीन हजार हेक्टेयर जंगल खाक हो चुके हैं। आग लगने का आंकड़ा तेरह सौ बार से अधिक का है। दरअसल, आग लगने के कारणों में जहां प्राकृतिक कारण शामिल हैं, वहीं मौसम की तल्खी भी एक वजह है। वहीं कुछ इरादतन आग लगाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। जिसमें निहित स्वार्थी तत्वों व जंगल माफिया का भी हाथ होता है। वहीं सामाजिक संरचना में आया बदलाव भी आग लगने की वजह बनता है।

दरअसल,उत्तराखंड के जंगलों में साल-दर-साल आग लगने का सिलसिला जारी है। वर्ष 2016 में भी चार हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र राख में तबदील हो गया था। पहले गांव के लोगों का जंगलों से गहरा लगाव था। आग लगते ही पूरा गांव आग बुझाने दौड़ पड़ता था।

मगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1988 में लाई गई कठोर वन नीति से गांव व जंगल का यह रिश्ता बेरुखी में बदल गया। निजी काम के लिये लकड़ी काटना अपराध हो गया। कभी-कभी शवदाह के लिये लकड़ी की किल्लत हो जाती थी। ऐसे में वनों से आने वाले जानवर तो ग्रामीणों का जीवन खतरे में डाल देते, मगर उस जंगल के सख्त कानून उसके उपयोग से वंचित कर देते। उत्तराखंड में जिस तेजी से पलायन हुआ है, उसके चलते गांव के गांव खाली पड़े हैं, ऐसे में आग बुझाने कौन आयेगा। दूसरे पहाड़ की जलवायु के विपरीत ज्वलनशील चीड़ अंग्रेज उत्तराखंड लेकर आये। इसके पत्ते बेहद तेजाबी होते हैं और इनके आसपास अन्य पौधे भी नहीं पनपते। विदेशों से आयी लैंटना घास भी बेहद ज्वलनशील साबित हुई। दरअसल बीते साल सूखी सर्दी बीती, बर्फ कम गिरी और अपेक्षाकृत बारिश भी उत्तराखंड में कम हुई। ऐसे में आग के विस्तार के लिये शुष्क वातावरण पहले से था, मगर इस आग को फैलने से रोकने के वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाये गये।

ऐसे में जंगल की आग खत्म करने के लिये बारिश का इंतजार किया जा सकता है।

# अंधेरे की पाठशाला में ज्ञान की ज्योति

वो तिहाड़ जेल के बाहर घंटों बैठकर पढ़ा करती थी। पिता के जेल में होने की मन में गहरी टीस थी। मिलने के लिए पांच-पांच घंटे इंतजार करना होता था। जेलर भीतर किताब ले जाने की अनुमति नहीं देता था। दस मिनट की मुलाकात और चार-पांच घंटे का इंतजार। कश्मीर से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान समय मिलने पर पढ़ती थी। कानून की नजर में पिता अभियुक्त थे। मगर उसके सबसे बड़े हीरो। उसने सोच रखा था कि कुछ ऐसा करेगी जो पापा का नाम रोशन कर सके।

गत 26 मई को जब सीबीएसई की बारहवीं की परीक्षा का परिणाम आया तो शमा शब्बीर शाह की चर्चा हर तरफ थी। उसने जम्मू-कश्मीर में टॉप किया था। उसकी पहली पहचान यह थी कि वह तिहाड़ जेल में बंद कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बेटी थी। शब्बीर अलगाववादी संगठन जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्हें 2017 में हवाला के जरिये पैसा हासिल करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।

शमा के पिता का सपना था कि बेटियां खूब पढ़ें। उनके इस सपने को सच करने में शमा की मां डॉक्टर बिलकिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शमा श्रीनगर में अठवाजान स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ी। उसने बारहवीं की परीक्षा 97.8 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की। शमा अपनी मां का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने मुझे और मेरी बहन को पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। वे हमारे साथ साये की तरह खड़ी रहीं।

हालांकि, शमा अपने पिता को निर्दोष मानती है, मगर सरकार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खबरों के अनुसार वर्ष 2005 में मोहम्मद असलम वानी नामक हवाला डीलर को दिल्ली पुलिस ने 63 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया। वानी के अनुसार इसमें 50 लाख शब्बीर शाह और दस लाख जैश-ए-मोहम्मद के एरिया कमांडर अबू बकर को मिलने थे। बाकी उसका कमीशन था। शब्बीर शाह पूरे मामले को राजनीतिक बताते हैं।

बहरहाल, शमा अब आगे की पढ़ाई के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। वह कहती है कि मैं कानून की पढ़ाई करना चाहती हूं। पिता के केस में उसे बार-बार कोर्ट-कचहरियों के चक्कर लगाने पड़े। इस दौरान उन्होंने न्याय व्यवस्था की विसंगतियों को बेहद करीब से देखा। वह कहती है कि मैंने बचपन में सुना था कि न्याय व्यवस्था आम आदमी को न्याय दिलाती है लेकिन मेरा अनुभव बताता है कि वहां बहुत बार मानवीय पक्ष की अनदेखी होती है। कई बार व्यवस्थागत विसंगितयों से अन्याय भी होता है। यही वजह है कि मैंने संकल्प लिया है कि अभावग्रस्त समाज के हक के लिए कानून के जरिए लड़ाई लड़ूंगी।

वह कहती है कि कश्मीर के हालात मानसिक स्तर पर दबाव बनाने वाले हैं। मेरे पिता की गिरफ्तारी मानसिक व भावनात्मक रूप से आघात था। लंबे समय से पिता से नहीं मिली हूं। मन में असुरक्षा बोध होता है। इन्हीं हालात के बीच मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि पिता को गर्व महसूस हो।

## सरकारी नौकरी

### भारतीय सेना में10वीं पास के लिए निकली भर्तियां

भारतीय सेना ने ट्रेड्समैन मेट के 9 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन मांगे गए है। उम्मीदवार अपनी योग्यता से इनके लिए अप्लाई कर सकते है।

**शैक्षिक योग्यता-**

10 वीं हिंदी भाषा का ज्ञान

आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि-

23 जून 2018

**आयु सीमा-**

उम्मीदवार की आयु18-25 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए

**चयन प्रकिया-**

उम्मीदवार का चयन फिजिकल एन्ड्योरेंस टेस्ट और रिटेन टेस्ट में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा।

सैलरी-

18,000 /- रुपये

**आवेदन कैसे करें-**

उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट के जरिए 23 जून 2018 तक अप्लाई कर सकते है

# मिल ही गई सजा
# पीड़िता की दृढ़ता से अंजाम तक पहुंचे दोषी

बारह साल के लंबे इंतजार के बाद चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को 2006 के श्रीनगर यौन उत्पीड़न स्कैंडल में पांच दोषियों को सजा सुना दी। यह मामूली बात नहीं है कि दोषी करार दिये गए लोगों में बीएसएफ के पूर्व डीआईजी केसी पाधी, जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर, शब्बीर अहमद लवाए, शब्बीर अहमद लंगू और मसूद अहमद जैसे लोग शामिल हैं। सेशन कोर्ट ने संविधान की धारा 376 और रणबीर पैनल कोड के अंतर्गत जिन लोगों को सजा सुनाई, उनमें पाधी के अतिरिक्त सभी आरोपी श्रीनगर के हैं। अभी सभी आरोपी जमानत पर थे, जो कस्टडी में लेकर बुड़ैल जेल भेज दिए गए। इनकी सजा की अवधि 4 जून को तय होगी। दो मुख्य आरोपी सबीना और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि शेष दो आरोपियों जम्मू-कश्मीर के एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी और बिजनेसमैन मेहराजुद्दीन मलिक को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया। यह बहुचर्चित केस आईटी एक्ट से शुरू हुआ और घिनौने यौन उत्पीड़न का कृत्य साबित होकर अंजाम तक पहुंचा। 14 मार्च, 2006 को श्रीनगर के शहीद कुंज

पुलिस थाने में धारा 67 में इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। एक नाबालिग लड़की की अश्लील फिल्म बरामद होने के मामले में शुरुआत में दो प्रमुख अभियुक्तों को अप्रैल से जून, 2006 के मध्य गिरफ्तार किया गया।

सीबीआई की जांच के अनुसार 2003 में जब यह 13 वर्षीय बालिका कक्षा सात की विद्यार्थी थी, सबीना के घर कुछ आर्थिक मदद के लिए गई थी। सबीना और उसके पति ने उसका शोषण करके उसे वेश्यावृत्ति में धकेला। यह केस उस समय रोशनी में आया जब जनवरी, 2006 में एक लड़के ने यह वीडियो क्लिप देखकर लड़की को पहचान लिया। लड़के ने वह वीडियो क्लिप एक आदमी को भेजी, जिसने उसकी दो सीडी बनाकर पुलिस को सौंप दी। इसी सीडी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिन्होंने बताया कि यह वीडियो शब्बीर अहमद लंगू ने बनाया था। शुरुआत में इसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से पांच को सजा दे दी गई। केस की महत्वपूर्ण बात यह कि जब पीड़िता के मां-बाप दबाव में आकर केस से पीछे हटने लगे, तब भी पीड़िता ने सजा दिलवाने की अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी। और अंत में 12 वर्ष के बाद वह अपने से काफी शक्तिशाली आरोपियों को सजा दिलवाने में सफल रही।

## खाना-खजाना

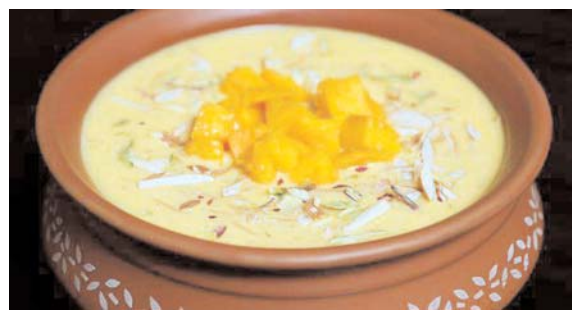

### गर्मियों में बच्चों के लिए बनाएं आम की खीर

**गर्मियों का मौसम आम के लिए फेमश है। इस मौसम में विशेष रूप से अगर आम की खीर, बनाई जाए तो बच्चों को खूब पसंद आएगी। आज हम आम की खीर बनाने की विधि बता रहें हैं।**

**सामग्री :-**

**फूल क्रीम दूध - 1 लीटर**

**पका आम - 1 (कप) पल्प**

**पका आम - (कप) बारीक कटा हुआ**

**चावल - द कप भिगा हुआ**

**चीनी - कप**

**इलायची पाउडर - द छोटी चम्मच**

**काजू - 8-10 कतरे हुऐ**

**बादाम - 8-10 कतरे हुऐ**

**विधि :-**

**किसी बर्तन में दूध उबालने के लिए गैस में रखें। दूध में उबाल आने के बाद दूध में चावल डाल दें। इसे थोड़ी-थोड़ी देर में चलाते हुए पका लें। दूध के अच्छे से गाढ़ा हो जाने के बाद जब चावल दूध में पक जाएं इसमें कतरें हुए काजू और बादाम डाल कर मिक्स कर लें और खीर को 4-5 मिनिट पकाएं। फिर इसमें चीनी और इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लें। खीर को एकदम धीमी आंच पर 1-2 मिनिट पकाने के बाद गैस बंद कर लें। खीर को ठंडा होने दें।**

**खीर के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसमें आम का पल्प डालकर मिला लें। इसके साथ ही बारीक कटे हुए आम के टुकड़े भी इसमें डाल लकर मिक्स कर दें। आम की खीर को कटोरें में निकाल कर इसके ऊपर काजू-बादाम और आम के टुकड़े से गार्निश कर ठंडा या गरम जैसा पसंद हो परोसिए और खाइये।**